संख्या– 26 /60–3–13–3(42)/97

प्रेषक,

कामिनी चौहान रतन,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 10 जनवरी, 2014

विषयः– कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न का प्रतिषेध आदि के संबंध में।

महोदय

रिट पिटीशन संख्या–(कि0मि0)665–70/92 विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.8.1997 के अनुपालन में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न को प्रतिषेध करने हेतु संविधान की धारा–32 एवं 141 के अन्तर्गत उपरोक्त विषय पर कतिपय मार्गदर्शक सिद्धान्त एवं मापदण्ड प्रतिपादित किये हैं और उसी कम में संविधान की धारा–141 के अधीन कानून घोषित किया गया। उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या –696– 60–3–97 3(42)/97 दिनॉक 28.11.1997 द्वारा जिसके कम में शासनादेश द्वारा प्रत्येक कार्यालय/संस्थान (निजी/सरकारी/ अर्धसरकारी) में निम्नवत् शिकायत समिति का गठन कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश जारी किये गये है :–

1. महिला सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के आधी से कम नहीं होगी।
2. इस समिति का अध्यक्ष एक महिला सदस्य को बनाया जायेगा।
3. एक गैर सरकारी संस्था (एन0जी0ओ0) जो महिलाओं के यौन उत्पीड़न के प्रतिषेध के क्षेत्र में कार्य करने हेतु प्रतिष्ठित हो, को भी इस समिति का सदस्य बनाया जायेगा।

उक्त के कम में समिति को अपने कार्य को सुचारु रुप से करने हेतु एक आवश्यक सेक्रेटेरियल असिस्टेंट संबंधित संस्थान द्वारा प्रदान की जायेगी।

2– यह समिति अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट बनायेगी और उस संस्थान के यौन उत्पीड़न के मामलों और उनके प्रकाश में आने पर कृत कार्यवाही का विवरण तथा अपने सुझाव संस्था के मुख्य कार्यकारी को प्रस्तुत करेगी।

3– महिला एवं बाल विकास विभाग के परिपत्र संख्या–679/60–3–97–3 (42)/97, दिनांक 28.11.1997, परिपत्र संख्या–241भा0स0/60–3–03– 3(42)/97, दिनांक–22.10.2003 तथा पत्र संख्या–701/60–3–01–3(42)/97, दिनांक 16.04.2001, संख्या–169/60–3–01–3(42)/1997, दिनांक–30 जुलाई, 2001 तथा संख्या–2762/60–3–05–3(42)/97, दिनांक 29.12.2005 के द्वारा शिकायत समिति की वार्षिक रिपोर्ट नियमित रुप से उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

4– रिट पिटीशन (क्रिमिनल) संख्या–665–70/92 विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनॉक 13.08.1997 के पूर्ण अनुपालन

Council of Architecture, Institute of Company Secretaries within two months from today. On receipt of any complaints of sexual harassment at any of the places referred to above the same shall be dealt with by the statutory bodies in accordance with the Vishaka guidelines and the guidelines in the present order.

5– इस सम्बन्ध मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा केन्द्रीय सरकार, महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) हेतु अधिनियम दिनांक 09 दिसम्बर, 2013 प्रख्यापित की गई है। उक्त अधिसूचना दिनांक 09 दिसम्बर, 2013 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के वेबसाइट– www.wcd.nic.in पर उपलब्ध है।

6– अतः अनुरोध है कि कृपया अपने अधीनस्थ विभागों/कार्यालयों में रिट पिटीशन (किमिनल) संख्या–665–70/92 विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य तथा रिट पिटीशन (किमिनल) संख्या–173–177/1999 मेधा कोटवाल लेले व अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेश कमशः दिनॉक 13.08.1997 तथा 19.10.2012 एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 09.12.2013 के दिशा–निर्देशों का पूर्णतयःअनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही की सूचना नियमित रूप से निदेशक, महिला कल्याण (नोडल अधिकारी) को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

9/1/14

(कामिनी चौहान रतन)
सचिव।

संख्या–26 (1)/60–3–13–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरों, उ0प्र0 को सार्वजनिक उपकमों/निगमों के संदर्भ में आवश्यक निर्देश जारी करने हेतु।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन को श्रमिकों, औद्योगिक कर्मचारियों एवं असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के संदर्भ में प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु।
3. प्रमुख सचिव, शिक्षा, उ0प्र0 शासन को विश्व विद्यालयों, महाविद्यालयों प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक/बेसिक शिक्षण संस्थाओं के संबंध में प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 को समस्त नागर निकायों में प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु।
5. निदेशक, महिला कल्याण को इस आशय के साथ प्रेषित कि इस संबंध में समस्त विभागों से समय–समय पर सूचना संकलित कर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अमरेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।

d:sri dutt/go 13